न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/68 दायरा दिनांक : 23.05.2022

उनवान

1– श्रीनाथ द्वारा टेम्पल बोर्ड मुख्य निष्पादन अधिकारी मंदिर, मण्डल नाथद्वारा

2– श्रीनाथ जी भण्डार कोटा जर्ये व्यवस्थापक .... अपीलांट

बनाम

1– हरिशंकर आत्मज श्री रामभरोस, जाति धाकड, निवासी बरखेडा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हेमन्त दाधीच व प्रवीण मेहरा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 22/2015 निर्णय दिनांक 08.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90ए, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बरखेडा पटवार हल्का बमूलियाकलां, तहसील अन्ता की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 की आराजी खाता संख्या नया 193 पुराना 166 की आराजी खसरा नं. 326 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 327 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नं. 328 रकबा 0.14 हेक्टर, व खसरा नं. 339 रकबा 0.80 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 3.33 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 08.04.2022 से प्रार्थीगण नियमानुसार केस सिक्यूरिटी जमा करा देवें तो विवादित आराजी ग्राम बरखेडा पटवार हल्का बमूलियाकलां, तहसील अन्ता की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 की आराजी खाता संख्या नया 193 पुराना 166 की आराजी खसरा नं. 326 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 327 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नं. 328 रकबा 0.14 हेक्टर, व खसरा नं. 339 रकबा 0.80 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 3.33 हेक्टर भूमि वाद निस्तारण तक अपना कब्जा बनाये रख सकेगे। प्रार्थीगण को आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवर्ष 30 जून तक उक्त विवादित आराजी पर नियमानुसार राशि प्रतिवर्ष तहसीलदार अन्ता के न्यायालय में जमा करा दें तो कब्जा काश्त बनाये रखेंगे। उक्त अवधि तक केस सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी पूर्वानुसार मुनाफा काश्त की कार्यवाही कर सकेंगे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के सर्वथा विपरीत है तथा प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी शहादत से प्रमाणित था कि विवादित भूमि सम्वत 2059 से लगातार अपीलांट द्वारा मुनाफा काश्त के लिये नीलाम कर काश्त करायी जा रही है। यहां तक कि सम्वत 2061 स्वयं रेस्पोडेंट कम 1 ने मुनाफा काश्त की नीलामी में 28501/– रूपये जमा कर काश्त की थी उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मुनाफे पर काश्त करायी जाती रही है तथा भूमि पर अपीलांट का कब्जा है, जिसे अपीलांट प्रत्येक वर्ष मुनाफे पर नीलामी बोली लगाकर राशि जमा कर काश्त करा रहा है, भूमि का खातेदार भी अपीलांट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नकद जमानत की राशि निश्चित नही कर बिना जमानत राशि तहसील द्वारा निर्धारित कर राशि जमा करने का आदेश दिया है जो प्रथम दृष्टया नलिटी है। रेस्पोडेंट कम 1 का वाद ही मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है, रेस्पोडेंट का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण है, न ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मंदिर मूर्ति को विधि के अन्तर्गत शाश्वत नाबालिग व्यक्ति माना गया है। ऐसे शाश्वत नाबालिग व्यक्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट प्रत्येक वर्ष मुनाफे पर नीलामी बोली लगाकर राशि जमा कर काश्त करा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जमानत राशि भी तय नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि जमानत राशि तहसीलदार द्वारा तय की है जिसे हमने जमा करा दिया है। राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955 लागू होने के पूर्व से ही उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर चला आ रहा है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मंदिर श्रीनाथ द्वारा की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी का कथन है कि 70 वर्षों से निरंतर कब्जे में है, असत्य है। उक्त भूमि सम्वत् 2059 में 27501 रूपये में रामधन मालव आत्मज भैरूलाल मालव का मुनाफा काश्त में दी गयी थी। सम्वत् 2060 में उक्त भूमि 27551 रूपये में हरिओम पुत्र लालजी मालव को मुनाफा काश्त पर दी गयी थी। सम्वत् 2061 में उक्त भूमि 28501 रूपये में हरिशंकर पुत्र रामभरोस धाकड को मुनाफा काश्त पर दी गयी थी। सम्वत् 2062 में उक्त भूमि 32501 रूपये में कन्हैयालाल पुत्र गोपाल धाकड को मुनाफा काश्त पर दी गयी एवं सम्वत् 2063 में उक्त भूमि 60601 रूपये में कन्हैया लाल पुत्र गोपाल धाकड को मुनाफा काश्त पर दी गयी। प्रतिवर्ष मंदिर श्रीनाथजी कमेटी द्वारा भूमि मुनाफा काश्त पर दी जा रही थी, जो प्रत्येक कृषि वर्ष समाप्त होते ही स्वतः की कब्जा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कथन असत्य है कि अप्रार्थी लगातार उक्त भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी ने अपने दावे में यह कथन किया कि राजस्थान टीनेसी एक्ट 15.10.1955 में प्रभावी होने के पूर्व से ही उसके पूर्वजों का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी ने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने के पश्चात् उपकृषक दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था और ना ही मंदिर माफी की भूमि पर उपकृषक को न तो खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो सकते है, न ही उसे कब्जा बनाये रखना का विधिक अधिकार है क्योंकि मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग व्यक्ति है जिसकी अक्षमता के कारण के वह किसी भी व्यक्ति से अपनी खातेदारी की भूमि पर पाती काश्त कराने, मंदिर की व्यवस्था कराने का विधिक अधिकारी है लेकिन

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उससे काश्त कराने वाले व्यक्ति को उपकृषक को किसी भी तरह का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त मंदिर मूर्ति की भूमि पर चाहे वो पुजारी ही क्यो न हो, किसी भी तरह से विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यह सर्वमान्य सिंद्धात है कि मंदिर मूर्ति को विधि के अन्तर्गत शाश्वत नाबालिग व्यक्ति माना गया है। ऐसे शाश्वत नाबालिग व्यक्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 अपास्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा